"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 फरवरी 2023 — फाल्गुन 3, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 फरवरी 2023

क्र. 2323/डी. 19/21–अ/प्रारू./छ.ग./23. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 13–02–2023 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 2 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2022.

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्र. 1 सन् 1981) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 कहलायेगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

भाग–3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्र. 1 सन् 1981) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) के भाग–3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"भाग–3
स्थावर संपत्ति के अंतरण पर उपकर

8. इस भाग में शब्द "स्थावर संपत्ति" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (क्र. 4 सन् 1882) में उसके लिए समनुदेशित किया गया है।

9. (1) विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष या अधिक कालावधि के पट्टे के माध्यम से स्थावर संपत्ति के अंतरण पर इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार उपकर प्रभारित किया जाएगा, उद्गृहीत किया जाएगा तथा संदत्त किया जाएगाः

परन्तु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन छूट, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन उपकर के संबंध में उसी सीमा तक लागू होंगी, जिस सीमा तक कि वे, उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क को इस प्रकार लागू होती हो, मानो कि उपकर, उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क हो।

(2) उप–धारा (1) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर, स्थावर संपत्ति के अंतरण की लिखत के रजिस्ट्रीकरण के साथ चुकाया जाएगा और वसूल किया जाएगा। उपकर के भुगतान को, अंतरण के विलेख पर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन जारी किये गये स्टाम्प चिपकाकर दर्शाया जायेगा।

(3) उपकर, उस व्यक्ति के द्वारा देय होगा, जिसके द्वारा भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन स्टाम्प शुल्क देय है।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके अधीन कोई अधिकारी, किसी दस्तोवज को रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक ग्रहण नही करेगा, जब तक कि उप–धारा (1) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर पूर्णतः चुका न दिया गया हो।

(5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 48 के उपबंध, इस भाग के अधीन उपकर की वसूली पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार कि वे, इस अधिनियम के अधीन शुल्क एवं शास्तियों की वसूली पर लागू होते हैं।

(6) उपकर के आगम, ग्रामीण विकास निधि एवं छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना से संबंधित प्रयोजन के लिए उपयोजित किये जायेंगे।

उपकर से प्राप्त राजस्व का विभाजन विहित रीति से किया जायेगा।"

अनुसूची का जोड़ा जाना.

3. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"अनुसूची
लिखतों पर उपकर
(धारा 9(1) देखिये)

स.क्र.	लिखतों का विवरण	संपत्ति का विवरण	उपकर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विक्रय, दान भोग बंधक या तीस वर्ष या अधिक की कालावधि के लिए पट्टा	स्थावर संपत्ति के अंतरण पर	स्टाम्प शुल्क की उस रकम के, जिससे कि ऐसे अंतरण की लिखत भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की अनुसूची 1–क के सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार प्रभार्य है, 12 प्रतिशत की दर से।"

अटल नगर, दिनांक 22 फरवरी 2023

क्र. 2323/डी. 19/21–अ/प्रारू./छ.ग./23. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 22–02–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2023)

THE CHHATTISGARH UPKAR (SANSHODHAN) ACT, 2022.

An Act further to amend the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1981).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Upkar (Sanshodhan) Act, 2022.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Part III.

2. For Part-III of the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1981), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely:-

"Part-III
Cess on transfer of Immovable Property

8. In this part the term "Immovable Property" shall have the same meaning as assigned to it in the Transfer of Property Act, 1882 (IV of 1882).

9. (1) There shall be charged, levied and paid a cess as per Schedule appended to this Act on transfer of immovable property by way of sale, gift, usufructuary mortgage or lease for a

period of thirty years or more:

Provided that the exemptions under the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) shall, mutatis mutandis, apply to the same extent in relation to the cess under this Act as they apply to duty chargeable under that Act as if the cess were a duty chargeable under that Act.

(2) The cess charged and levied under sub-section (1) shall be paid and recovered alongwith the registration of instrument of transfer of immovable property. The payment of the cess, shall be denoted on the instrument of transfer by affixing stamps issued under the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899).

(3) The cess shall be payable by the person by whom the stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), is payable.

(4)Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), no officer thereunder shall accept any document for registration unless the cess charged and levied under sub-section (1) is paid in full.

(5) The provisions of Section 48 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) shall apply to recovery of cess under this Part as they apply to recovery of duties and penalties under this Act.

(6) The proceeds of cess shall be applied to rural development fund and for the purpose related to Chhattisgarh Employment Mission & Rajiv Mitan Club Scheme.

The revenue received from the cess shall be distributed in the prescribed manner."

3. After Section 11 of the Principal Act, the following Schedule shall be added, namely:- **Addition of Schedule.**

"SCHEDULE
Cess of Instruments
[See Section 9(1)]

Sr. No.	Descreption of Instruments	Descreption of Property	Cess
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sale, Gift, usufructuary mortgage or lease for a period of thirty years or more	On transfer of immovable property	At the rate of 12 percentum of the amount of stamp duty with which instrument of such transfer is chargeable in accordance with the relevant Article in Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899)."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.